सं. 4-2(12)/2020-DD-I-Part(1)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5 वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3

दिनांक: 26.09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात 01.04.2022 से 31.03.2026 तक सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना) में संशोधन –के संबंध में ।

विभाग के आदेश दिनांक 02.04.2024 की निरंतरता में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने योजना को अधिक समावेशी और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से "सहायक यंत्रों /उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना)" के दिशानिर्देशों में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए योजना के विभिन्न प्रावधानों को सरल बनाया है। यह संशोधित योजना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर गतिविधियों)/एमपी-एमएलए एलएडीएस फंड/राज्य सरकार/पंचायत/नगर निगमों/खनिज निधि/या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से निधि के योगदान को भी बढ़ावा देती है।

2. तदनुसार, संशोधित योजना की प्रति जो तत्काल रूप से प्रभावी है, सभी संबंधितों के सूचनार्थ और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संलग्न है। संशोधित योजना की प्रति विभाग की वेबसाइट www.depwd.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- यथोपरि ।

SANDEEP KUMAR

Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2024.09.26 14:31:17 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी:- sandeepkumar.rth@nic.in

Adipsection -depwd@nic.in

दूरभाष संख्या. :- 011 2436 9027

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव।
2. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां (एलिम्को/एनआई/सीआरसी/डीडीआरसी/डीडीआरएस/वीओ/एनजीओ आदि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय मंत्री एसजे एंड ई के निजी सचिव ।
2. माननीय राज्य मंत्री (आर ए) के निजी सचिव / माननीय राज्य मंत्री (बी एल वी) के निजी सचिव ।
3. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
4. संयुक्त सचिव (आरएस)/ उप महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
5. विभाग के सभी निदेशक/उप सचिव के निजी सहायक ।

सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

(26 सितम्बर, 2024 से कार्यान्वित)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-1100 03

सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना)

1.0 परिचय

उपयुक्त सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का प्रावधान दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रक्रिया में पहला कदम है। सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों को ऐसे सहायक यंत्र और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जो उनके समग्र पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विलंबित विकास से पीड़ित हैं। उनमें से कई बौद्धिक दिव्यांगता और प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित हैं और उन्हें स्वयं की देखभाल और आत्मनिर्भर होकर जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करने के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से, ऐसे अनेक सहायक उपकरण सामने आए हैं जो दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर सकते हैं और दिव्यांगजनों की समग्र क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, दिव्यांगजनों का एक बड़ा हिस्सा निम्न आय वर्ग से है और इन सहायक उपकरणों के लाभों से वंचित हैं क्योंकि वे इन्हें हासिल करने के लिए धन जुटाने और परिणामस्वरूप एक सम्मानजनक जीवन में असमर्थ हैं।

1.01. दिव्यांगजनों को समर्थ और सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि जिस अवधि के दौरान इन मौद्रिक सीमाओं में संशोधन नहीं किया गया है, उस अवधि के दौरान लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की मात्रा, लागत, सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की अधिकतम सीमा और पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर संशोधित रूप में योजना को जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की कवरेज और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूलन के संदर्भ में संशोधित योजना तैयार की गयी है।

2.0 उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक उपकरण प्रदान कर दिव्यांगता के प्रभाव को कम करना तथा उनकी शैक्षिक और आर्थिक क्षमता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत आपूर्ति किए गए सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के लिए उचित प्रमाणन होना चाहिए।

3.0 परिभाषाएँ

"दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016" में दी गई विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की परिभाषाएँ।

4.0 कार्य-क्षेत्र

यह योजना पैरा 5.0 में सूचीबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इन एजेंसियों को ऐसे मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद, निर्माण और फिटमेंट के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जो इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। ये कार्यान्वयन एजेंसियां इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की फिटिंग और फिटिंग के बाद की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगी। वे दिव्यांगजनों को ऐसे सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण का व्यापक प्रचार करेंगे। इसके अलावा, वितरण शिविर से पहले जिला कलेक्टर, बीडीओ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को शिविर की तिथि और स्थान के बारे में सूचित करेंगे। शिविरों के बाद, वे लाभार्थियों की सूची और इस योजना की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/अर्जुन पोर्टल पर सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के विवरण अपलोड करेंगे। लाभार्थियों की सूची को प्रमुखता से कार्यान्वयन एजेंसियों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

4.01 इस योजना में, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार, सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के फिटमेंट से पहले आवश्यक सर्जिकल सुधार और हस्तक्षेप भी शामिल होगा:

(i) वाक् और श्रवण बाधित के लिए 1500 /- रूपये

(ii) दृष्टिबाधितों के लिए 3,000 /- रूपये

(iii) ऑर्थोपेडिकली बाधित के लिए 15,000 /- रूपये

5.0 योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र हैं, बशर्ते कि वे निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करते हों:

i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत, एलिम्को, राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, सीआरसी, आरसी, डीडीआरसी, राष्ट्रीय न्यास।

ii. सोसायटी और उनकी शाखाएं, यदि कोई हों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अलग से पंजीकृत हैं।

iii. पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट।

iv. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटियां और अन्य स्वायत्त निकाय।

v. दिव्यांगताओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय/राज्य निगम।

vi. स्थानीय निकाय – जिला परिषद, नगर पालिकाएं, जिला स्वायत्त विकास परिषदें और पंचायत आदि।

vii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा यथा संस्तुत पृथक निकायों के रूप में पंजीकृत अस्पताल।

viii. नेहरू युवा केंद्र।

ix. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य संगठन।

5.01 इस योजना के तहत वाणिज्यिक उत्पादन या सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहायता अनुदान नहीं दिया जाएगा।

5.02 नई कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करते समय, उन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी:

(i) जो व्यावसायिक रूप से योग्य स्टाफ के रूप में (आरसीआई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से) सक्रिय सीआरआर सं. वाले आरसीआई पंजीकृत पुनर्वास पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञ को नियोजित करते हैं, ताकि अपेक्षित सहायक यंत्रों/उपकरणों की पहचान करने, उनका निर्धारण करने सहित लाभार्थियों और सहायक यंत्रों/उपकरणों की फिटमेंट, उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण और पोस्ट-फिटमेंट देखभाल की जा सके।

(ii) जो एडिप योजना के तहत दिव्यांगजन को दिए जाने वाले सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों के मूल्यांकन, निर्माण, फिटमेंट, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और रखरखाव के लिए मशीनरी/उपकरण के रूप में अवसंरचना रखते

हों और जिनके पास आईएसआई मानकों/आईएसओ प्रमाणन के साथ सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का उत्पादन/फिटमेंट करने की क्षमता हो।

6.0 लाभार्थियों की पात्रता:

i. किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक।

ii. मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड या कम से कम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या।

iii. आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना के जरिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड का नंबर या आधार कार्ड का नामांकन आईडी आवश्यक है।

iv. व्यक्ति की सभी स्रोतों से मासिक आय रु. 30,000/- प्रति माह से अधिक न हो।

v. आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 30,000/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

vi. उसी उद्देश्य के लिए किसी भी स्रोत से पिछले 3 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त नहीं की हो। तथापि, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, विशिष्ट रूप से निर्मित मदों जैसे ऑर्थोसिस / प्रोस्थेसिस की फिटमेंट, लर्निंग मटेरियल (टीएलएम किट) आदि के लिए सहायता का न्यूनतम समय एक वर्ष है, (सिवाय मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल / मोटराइज्ड व्हीलचेयर और स्मार्ट फोन के, जिनके लिए सहायता पांच वर्ष में एक बार होगी) ।

नोट :-

एडिप के लिए :

(क): राजस्व एजेंसियों से आय प्रमाण पत्र/ बीपीएल कार्ड/ मनरेगा कार्ड/ दिव्यांगता पेंशन कार्ड/ एमपी /एमएलए/ पार्षद/ ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र, जिसके न होने पर दिव्यांगजनों के स्व-प्रमाणन/ नोटरीकृत शपथ पत्र को दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के मार्फत नोटरीकृत शपथ पत्र स्वीकार किया जा सकता है।

(ख) अनाथालयों और हाफ-वे होम /विशेष स्कूल/विशेष होम आदि में रहने वाले लाभार्थियों का आय प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर या संबंधित संगठन के प्रमुख के द्वारा प्रमाणन पर स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों को इस योजना के तहत केवल एलिम्को/एनआई/सीआरसी द्वारा सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

एडिप-एसएसए के लिए

(ग) एडिप-एसएसए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी (i) स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल (ii) स्थानीय एसएसए प्राधिकरण और (iii) एलिम्को से सक्रिय सीआरआर संख्या नंबर वाले आरसीआई पंजीकृत पुनर्वास पेशेवर।

(घ) 40% से कम दिव्यांगता के मामले में, सीडब्ल्यूएसएन को उपर्युक्त पैरा (ग) में संयुक्त प्रमाणन के आधार पर सहायक यंत्र एवं उपकरण जारी किए जा सकते हैं।

(ङ) मंत्रालय द्वारा, यथा अनुमोदित बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत टीएलएम किट के वितरण के लिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकासात्मक विलंब प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, एडिप योजना में यथा निर्धारित न्यूनतम 40% दिव्यांगता की शर्त को कम नहीं किया गया है।

(च) एडिप एसएसए का लाभ 18 वर्ष की आयु तक के उन बच्चों को भी दिया जाएगा जो विशेष तथा होम स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ रहे है या एलिम्को / एनआई / सीआरसी के केन्द्रों में सहायक उपकरणों के लिए आते हैं। इस प्रयोजन के लिए, एक समिति 40% से कम दिव्यांगता या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के मामले में उस लाभार्थी के लिए आवश्यक सहायता और सहायक उपकरण की सिफारिश करेगी। इस समिति में 02 अधिकारी शामिल होंगे जो की इस प्रकार है :-

(क) एक आरसीआई पंजीकृत पुनर्वासन पेशेवर/एलिम्को/एनआई/सीआरसी का पी एंड ओ और

(ख) संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग का एक सदस्य।

इसके अलावा, मूल्यांकन के समय यूडीआईडी पोर्टल पर ऐसे लाभार्थी का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

(छ). एडिप-एसएसए योजना के तहत, कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले उन छात्रों को, जो 16 या उससे अधिक आयु के होंगें, और जिनके पास यूडीआईडी कार्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ-साथ यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या होगी, उन छात्रों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जा सकती है।

7.0 सहायता प्रमात्रा

(i) 15,000/- रुपये तक की लागत वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए।

- योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता।

(ii) 15,001/- रुपये से 30000/- रुपये के बीच की लागत वाले सहायक यंत्रों/उपकरणों के लिए ।

- रु. 15000/- तक की वित्तीय सहायता ।

नोट:

(क) अधिकतम सब्सिडी सीमा से अधिक अतिरिक्त निधियों का अंशदान सीएसआर/एमपी लैड फंड/राज्य सरकार की योजना/पंचायत या नगर निगम निधियों/खनिज निधियों/या किसी अन्य स्रोत या लाभार्थी द्वारा स्वयं से किया जाएगा।

(ख) बहु दिव्यांगता के मामले में, यदि एक से अधिक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होगी तो सीमाएं अलग-अलग मदों पर अलग से लागू होंगी।

(ग) एक ही दिव्यांगता के लिए एक अंग या ऑर्गन के बहु-पक्षीय/बहु-भागों के शामिल होने के मामले में, सब्सिडी की सीमा प्रत्येक उपकरण पर अलग से स्वीकार्य होगी। लाभार्थियों की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त मैनुअल सहायक उपकरण भी निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन समान उद्देश्य के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, यदि प्रोस्थेसिस / ऑर्थोसिस प्रदान किया जाता है, तो ऐसे लाभार्थी की बाहरी गतिविधि में सहायता करने के लिए बैसाखी / चलने में सहायक उपकरण या व्हीलचेयर / मैनुअल ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है। तथापि, ट्राइसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल या मोटराइज्ड व्हीलचेयर जैसी समान वस्तुएं प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि इसमें एक जैसा उद्देश्य शामिल हैं।

(घ). कॉक्लियर इम्प्लांट

बोलने से पूर्व श्रवण ह्रास वाले 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए 7.00 लाख रुपये प्रति यूनिट (सरकार द्वारा वहन किया जाना है) की सीमा वाला और 5 से 18 वर्ष के बीच श्रवण ह्रास बच्चों के मामले में 6.00 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा वाले श्रवण बाधितों को कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव

थेरेपी और पुनर्वास करना। दोनों मामलों में, वित्तीय सहायता में प्रत्यारोपण, सर्जरी, चिकित्सा, मानचित्रण, यात्रा और पूर्व-प्रत्यारोपण मूल्यांकन की लागत सम्मिलित होगी जैसा कि इस योजना के परिशिष्ट-I में दिया गया है ।

कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, नोडल एजेंसी होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में सर्जरी की जाएगी। पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी वाले प्रत्येक बच्चे के लिए ऑडीटरी-बरबल थैरेपी (एवीटी) अनिवार्य होगी। पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा की गई सर्जरी और लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रदान की गई चिकित्सा के बारे में पिछले तीन वर्ष के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, सर्जरी के बाद तीन वर्ष तक एवीटी थेरेपी प्रदान की जानी चाहिए। कोर कमेटी द्वारा अनुशंसित विनिर्देश के अनुसार, कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस की खरीद भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा की जाएगी।

7.01 सहायता की राशि इस प्रकार होगी:-

कुल आय	सहायता की राशि
(i). रु. 22,500/- तक प्रति माह (ii) रु.22,501/- से रु. 30,000/- प्रति माह	(i) यंत्र/उपकरण की पूरी लागत (ii) यंत्र/उपकरण की लागत का 50%

7.02 रेल किराया या बस किराए के संदर्भ में यात्रा लागत दिव्यांगजनों और एक एस्कॉर्ट किराए के लिए अलग से स्वीकार्य होगी, जो प्रति व्यक्ति 250 रुपये तक की सीमा के अधीन होगी, चाहे उस केंद्र में तथा सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के लिए वितरण शिविर में भाग लेने के लिए कई बार आना पड़े। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को, जब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक, उस क्षेत्र से बाहर पुनर्वास केंद्र तक यात्रा करने के लिए यात्रा भत्ता दिया जा सकता है। बाकि सभी लाभार्थियों को अपने निवास स्थान के नजदीकी पुनर्वास केंद्र में जाना चाहिए ।

7.03 इसके अलावा, उल्लिखित अधिकतम अवधि के लिए प्रति दिन 100/- रुपये की दर से भोजन और आवास व्यय केवल उन रोगियों के लिए स्वीकार्य होगा, जिनकी कुल आय 22,500/- रुपये प्रति माह तक है और इसी प्रकार उनके परिचारक/एस्कॉर्ट को स्वीकार्य होगा। भोजन और आवास व्यय निम्नलिखित मामलों के लिए स्वीकार्य होंगे:-

1. सुधारात्मक/रिकंस्ट्रकटिव सर्जरी के लिए अधिकतम 15 दिन

2. प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस फिटमेंट के लिए अधिकतम 05 दिन

3. कान मोल्ड फिटमेंट के लिए अधिकतम 05 दिन

8.0 <u>सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों के प्रकार</u>

सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों की सिफारिश करने के लिए विभाग में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर समकालीन सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की एक व्यापक सूची अधिसूचित की जाती है।

इस व्यापक सूची को एडिप योजना के तहत वितरित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की सूची के लिए संदर्भ के एकल स्रोत के रूप में माना जाएगा। सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और यह सूची विभाग की वेबसाइट (depwd.gov.in) और अर्जुन पोर्टल पर उपलब्ध है।

नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार सक्रिय सीआरआर संख्या के साथ आरसीआई पंजीकृत पुनर्वासन पेशेवर द्वारा निर्धारण, पर्चा, फिटमेंट और उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण के बाद योजना के तहत सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

8.01 हाई एण्ड प्रोस्थेसिस:-

(क) कम से कम 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए हाई एण्ड प्रोस्थेसिस। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 30,000/- रुपये होगी।

नोट :- बिना किसी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के ऐम्प्युटी के मामले में, ये हाई एण्ड कृत्रिम अंग भी एलिम्को/एनआई/सीआरसी के सक्रिय सीआरआर संख्या वाले आरसीआई पंजीकृत पुनर्वासन पेशेवर की

सिफारिश और यूडीआईडी कार्ड के लिए नामांकन के बाद ही प्रदान किए जाए। एलिम्को/एनआई/सीआरसी और सरकारी अस्पतालों द्वारा संचालित प्रोस्थेटिक केंद्रों में हाई एंड प्रोस्थेसिस लगाया जाएगा।

(ख) गंभीर गतिविषयक दिव्यांगता, स्ट्रोक, प्रमस्तिष्क घात, हेमिपेलिगिया और ऐसे ही हालात वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड व्हीलचेयर, जहां या तो तीन/चार अंग या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दुष्प्रभावित हो। 80% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड व्हीलचेयर के लिए सहायता के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये होगी। यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पांच वर्ष में एक बार प्रदान किया जाएगा । मानसिक रूप से दिव्यांग 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटराइज्ड व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि इससे उन्हें गंभीर दुर्घटना / शारीरिक क्षति का खतरा है।

“मोटराईज्ड-ट्राइसाइकिल/मोटराईज्ड व्हीलचेयर के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता की शर्त में छूट देकर केवल एडिप एसएसए के अंतर्गत शामिल किए गए 40% दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए की जाए, मोटरीकृत ट्राइसाइकिल/मोटराइज्ड व्हीलचेयर के लिए अन्य सभी शर्तें समान रहेंगी।”

8.02 सहायक यंत्रों/उपकरणों की सूची का आवधिक संशोधन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभाग में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर व्यय वित्त समिति/आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सहायक उपकरणों की सूची को आवधिक रूप से संशोधित की जा सकती हैं। विभाग द्वारा योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में और दिशानिर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

9.0 <u>प्रशासनिक व्यय</u>

योजना के तहत बजट का 1% इस योजना के संबंध में जानकारी, शिक्षा प्रदान करने और संचार करने और इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सलाहकारों/तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने और मोबाइल ऐप, एमआईएस पोर्टल की तैयारी और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में शामिल व्यय को करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

10.0. <u>लाभार्थियों की पहचान/ सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण:-</u>

क. **शिविर गतिविधि के माध्यम से:-** कार्यान्वयन एजेंसियां जिला स्तर पर शिविर मोड में लाभार्थियों का मूल्यांकन करने के बाद वितरण शिविर लगाएंगी। कार्यान्वयन एजेंसियों को दुर्गम और गैर-सेवित क्षेत्रों के कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उभरती आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर शिविर भी आयोजित किये जायेंगे।

ख. **मुख्यालय गतिविधि के माध्यम से:-** राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को/डीडीआरसी और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां अपने मुख्यालय या अपने संबंधित समेकित क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क करने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुदान का उपयोग करेंगी। कुछ सुस्थापित एनजीओ, जिनके केंद्र/उप-केंद्र ओपीडी गतिविधियां संचालित करते हैं और दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, उनके मुख्यालय की गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता हेतु भी विचार किया जा सकता है।

ग. **मोबाइल ऐप के माध्यम से:-** लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जो लाभार्थियों को (नए पंजीकरण हेतु) या तो नए सहायक उपकरणों के लिए अनुरोध करने या मौजूदा उपकरणों की मरम्मत करने में (मौजूदा उपयोगकर्ता को) सक्षम करेगा। । ऐप पर प्राप्त अनुरोधों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संकलित किया जाएगा और लाभार्थी के निवास के निकटतम स्थित कार्यान्वयन एजेंसी को भेज दिया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी मूल्यांकन के समय लाभार्थी से एडिप योजना में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगी और ऐसे पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करेगी।

घ. **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/एडिप वेब पोर्टल के माध्यम से** : यह पोर्टल दिव्यांगजनों को पोर्टल पर पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर पात्र लाभार्थियों को **सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध की सुविधा प्रदान करेगा।**

नोट :- लाभार्थियों के आकलन और सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए उपर्युक्त सभी गतिविधियां अर्जुन पोर्टल (एडिप योजना के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।)

11.0 <u>कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया</u> ।

संगठन अपना आवेदन सीधे विभाग को सौंपेंगे। गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) के प्रस्ताव केवल मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

***नोट:-** योजना के तहत आवश्यक सभी प्रोफार्मा/अनुलग्नक को विभाग में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी (विधिवत स्वप्रमाणित) संलग्न होनी चाहिए:

क. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51/52 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ख. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत, और उनकी शाखाओं, यदि कोई हो, के लिए अलग से या धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम के तहत, पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ग. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम एवं विवरण।

घ. एनजीओ/वीओ के ट्रस्टियों/सदस्यों का पैन और आधार नंबर विवरण।

ङ. संगठन के नियमों, लक्ष्यों और उद्देश्यों की एक प्रति।

च. पिछले वर्ष के प्रमाणित लेखापरीक्षित खातों और वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (जो यह दर्शाती हो कि संगठन वित्तीय रूप से मजबूत है)। योजना के तहत पहली बार अनुदान सहायता चाहने वाले संगठनों के मामले में, पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

छ. योजना के तहत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों की सूची और अन्य विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/एडिप वेब पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए ।

ज. नवीनतम जीएफआर के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र।

झ. कार्यान्वयन एजेंसियां सहायक यंत्रों और उपकरणों की व्यापक सूची के अनुसार उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक यंत्र और उपकरणों का एक वर्ष तक निःशुल्क रखरखाव करेंगी।

ञ. यदि संगठन के नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारी 20 से अधिक हैं तो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान करेगा ।

12.0 सहायता अनुदान की मंजूरी/जारी करना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों और अन्य सरकारी संगठनों को छोड़कर, अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां अपने प्रस्ताव सीधे मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेंगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र और निर्धारित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद आगामी वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

नोट:- एनजीओ/वीओ के नए मामलों में, एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान को संसाधित करने से पहले विभाग की स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिश और भौतिक निरीक्षण आवश्यक है। हालाँकि, सरकारी संगठनों के मामले में जैसे सीधे जिला कलेक्टर (डीएमटी) की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम, राज्य सरकार के निगमों द्वारा चलाई जाने वाली डीडीआरसी, विभाग के नियंत्रण में कार्यरत एलिम्को/एनआई/सीआरसी को स्क्रीनिंग कमेटी/भौतिक निरीक्षण की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसियों के एनजीओ/वीओ के नए मामलों में भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता ऐसे मामलों में नहीं है, जहां किसी एनजीओ/वीओ को पिछले 03 वर्षों में इस विभाग की किसी भी योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ हो।

12.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी सहायता अनुदान के उपयोग के <u>निमित्त</u> लाभार्थियों की नमूना जांच निकटतम एनआई/सीआरसी/एलिम्को या यदि आवश्यक हो तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाएगी। नमूना जांच में कम से कम 2% लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। एलिम्को के मामले में परीक्षण जांच निकटतम एनआई/सीआरसी द्वारा की जा सकती है और एनआई/सीआरसी के मामले में, परीक्षण जांच किसी अन्य एनआई/सीआरसी/एलिम्को द्वारा की जा सकती है।

12.2 यदि सहायता अनुदान 10 लाख रुपये से कम है तो सहायता अनुदान आम तौर पर एक किस्त में जारी की जाएगी। हालाँकि, यह सीमा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मंजूरी से आयोजित विशेष परिभाषा वाले शिविरों (स्पेशल डेफिनिशन कैंप) के लिए लागू नहीं होगी। पहली और दूसरी किस्त की प्रमात्रा विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से तय की जाएगी।

12.3 कार्यान्वयन एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन, वितरण और अनुवर्ती शिविर आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान का 5% प्रशासनिक/ओवरहेड खर्च के रूप में उपयोग करेंगी। ऐसे बड़े शिविरों के लिए, जहां लाभार्थियों की संख्या 1000 और उससे अधिक है और शिविरों में कैबिनेट/राज्य मंत्री (एसजे एंड ई)/मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, योजना के तहत अतिरिक्त 5% प्रशासनिक व्यय स्वीकार्य होगा।

13.0 <u>सहायता के लिए शर्तें</u>

कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थियों की मासिक आय के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी।

I. कार्यान्वयन एजेंसी सभी लाभार्थियों से संबंधित डेटा को निर्धारित प्रारूप में विभाग के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी। कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण के वितरण की तारीख से 02 दिनों के भीतर विभाग के एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थियों का डेटा अपलोड करेंगी। उदाहरण के लिए:- यदि वितरण की तारीख महीने का पहला दिन है, तो डेटा उस महीने की 3 तारीख की आधी रात तक अपलोड हो जाना चाहिए । डेटा अपलोडिंग के नियम के अनुपालन में विफल रहने पर विभाग द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

II. कार्यान्वयन एजेंसियां एडिप परियोजना के लिए अलग बही-खाते बनाएगी। कार्यान्वयन एजेंसियां विभाग द्वारा अधिकृत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के मुख्य खाते के तहत या समय -समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 0 (शून्य) बैलेंस सहायक खाता (एसए) खोलेंगी।

III. एक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लेखे, बिल और वाउचर के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित खातो के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे । कार्यान्वयन एजेंसी सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के 15 दिनों के भीतर विभाग को सभी बिल और वाउचर प्रस्तुत करेगी, ऐसा न करने पर जुर्माना (उक्त उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदान के 10% तक) लगाया जाएगा। एलिम्को के मामले में, सहायक यंत्रों और उपकरणों का विवरण उनके वितरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी से एक शपथ पत्र लेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य एजेंसी/स्रोत से ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की है और वह इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में यह समय सीमा 1 वर्ष है।

V. कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/एनआई/सीआरसी आदि द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/तीसरे पक्ष के द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

VI. जब भारत सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंजूरी का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो यह राशि कार्यान्वयन एजेंसी से ब्याज के साथ वसूल की जाएगी और एजेंसी को कोई और सहायता नहीं दी जाएगी । मंत्रालय ऐसे संगठन को ब्लैक लिस्ट में डालने और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

VII. कार्यान्वयन एजेंसियां तब तक इस योजना के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं उठाएंगी जब तक कि उन्हें निधियां मंजूर न कर दी गई हों, सिवाय उस कार्यान्वयन एजेंसी के मामले के, जिसने उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पूर्व अनुमोदन से एजेंसी द्वारा लिए गए ऋण के विरुद्ध अनुमोदित सहायक यंत्र और उपकरण (इस योजना के अंतर्गत मानदंडों/लागत सीमा के अनुसार) वितरित किए हैं। विभाग उक्त ऋण राशि पर ब्याज का भार वहन नहीं करेगा।

VIII. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए आरक्षण सरकारी मानदंडों के अनुसार होगा तथा कुल लाभार्थियों में कम से कम 25% बालिकाएं/महिलाएं होनी चाहियें ।

नोट 1 :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित पूरे भारत के लाभार्थी, इन शिविरों में, चाहे शिविर किसी भी स्थान पर आयोजित किया गया हो, एडिप योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।

नोट 2:- मुख्यत: कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) लगाने के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां, जहां तक व्यवहार्य हो, यह ईमानदारी के साथ सुनिश्चित करें कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम 25% महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके ।

IX. सभी शिविरों में योजना के बारे में जानकारी और उसके तहत मिलने वाली सहायता का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी की वेबसाइट पर आयोजित किए गए शिविरों की तस्वीरें भी अपलोड की जाएंगी। ब्रांडिंग (विज्ञापन) पूरी तरह से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशों के अनुसार होगी।

X. संस्था भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बैनर तले जिलों में निर्धारित तरीके से तथा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय सांसदों एवं विधायकों को अपेक्षित सूचना देने के बाद योजना का क्रियान्वयन करेगी।

XI. स्थानीय मीडियाकर्मियों को भी शिविरों में आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा भविष्य में होने वाले शिविरों के बारे में स्थानीय मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

XII. संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा, शिविरों में जारी किए गए प्रमाण-पत्र, शिविर में भाग लेने वाले व्यक्तियों, लाभार्थियों के फोटोग्राफ सहित नाम व पते आदि से संबंधित विस्तृत रिकार्ड रखा जाना चाहिए। फोटोग्राफ में लाभार्थी को उनके द्वारा प्राप्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के साथ दिखाया जाना चाहिए।

XIII. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने कार्यालयों और शिविरों में साइनबोर्ड, बैनर आदि प्रमुखता से लगाने चाहिए, जिससे यह पता चले कि यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से चलाई जा रही है। व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल आदि के पीछे मंत्रालय का नाम भी लिखा होना चाहिए।

XIV. इस अनुदान सहायता से सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित शिविर/समारोह के फोटोग्राफ तथा शिविरों के आयोजन तथा वितरण कार्य से संबंधित प्रेस-क्लिपिंग, पोस्टर, पैम्फलेट आदि मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

XV. अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यकारी समिति, जहां लागू हो, का अध्यक्ष/सचिव, अनुदान जारी होने से पहले, इस विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रारूप में बांड निष्पादित करेगा।

XVI. यदि अनुदान प्राप्तकर्ता शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या बांड की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बांड के हस्ताक्षरकर्ता को अनुदान की पूरी या आंशिक राशि साथ ही उस पर दस प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष सहित या इस बांड के तहत निर्दिष्ट राशि विभाग को वापस करनी होगी।

XVII. नवीनतम जीएफआर के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पचास लाख रुपये और उससे अधिक की एकमुश्त सहायता/अनावर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले पंजीकृत निजी और स्वैच्छिक संगठनों या सोसाइटियों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते को भी अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों के आगामी वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। इसलिए, ऐसी रिपोर्टें वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

XVIII. संगठन को सभी संवितरण/भुगतान, ई-भुगतान/आरटीजीएस के माध्यम से या वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करना होगा।

XIX. इस सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को भारत कोष पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी जीएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार भारत की संचित निधि में जमा करने के लिए विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

XX. स्वीकृत सहायता अनुदान से समस्त खरीद, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी जीएफआर दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

XXI. कार्यान्वयन एजेंसियां सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण की तिथि से लाभार्थियों के सभी रिकॉर्ड निम्नानुसार बनाए रखेंगी:-

क. सभी दस्तावेजों को 02 वर्ष की अवधि के लिए उनके वास्तविक स्वरुप (फिजिकल फॉर्म) में रखा जाएगा।

ख. सभी दस्तावेजों को 05 वर्ष की अवधि के लिए उनके डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा।

ग. वितरण की तिथि से, लाभार्थियों के 05 वर्ष तक की अवधि से अधिक पुराने अभिलेखों को वीड आउट किया (निकाल दिया) जा सकता है।

14. विविध

15वें वित्त आयोग की चक्रीय अवधि के बाद कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं बनाई जाएगी।

15. सीएसआर/एमपी एलएडी फंड/राज्य सरकार की योजना/पंचायत या नगर निगम निधि/मिनरल फण्ड/या किसी अन्य स्रोत के **माध्यम से सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण:**

विभिन्न कंपनियां दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियां चलाती हैं। विभाग इन कंपनियों को, लाभार्थियों को वितरण हेतु दिए जाने वाले सहायक यंत्र और उपकरणों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मोटर चालित ट्राइसाइकिल/मोटर चालित व्हीलचेयर/स्पोर्ट व्हीलचेयर/स्मार्ट फोन/रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले/कस्टमाइज्ड आइटम और अन्य डिवाइस आदि सहित विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीएसआर गतिविधियों के तहत सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के दौरान लाभार्थियों को पात्रता मानदंडों में छूट दी जा सकती है, ताकि एडिप योजना के तहत पूर्व में कवर नहीं किए गए लाभार्थियों के कवरेज को व्यापक बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को सीएसआर/एमपी एलएडी फंड/राज्य सरकार की योजना/पंचायत या नगर निगम निधि/मिनरल फण्ड /या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से या स्वयं लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करने और लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाले उच्च-स्तरीय सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए एडिप योजना के साथ अभिसरण करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।

यह भी सलाह दी जाती है कि सीएसआर/एमपी-एमएलए एलएडीएस/राज्य सरकार की योजना/पंचायत या नगर निगम निधि/मिनरल फण्ड/ या किसी अन्य स्रोत के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों के डेटा को अपलोड करने के लिए विभाग के अर्जुन पोर्टल का उपयोग किया जाए, ताकि पुनरावृति (डुप्लीकेसी) को रोका जा सके और सहायक यंत्र एवं उपकरणों के वितरण में पारदर्शिता लाई जा सके।

परिशिष्ट-I

कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए लागत मानदंड

क्रम संख्या	ब्यौरा	कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए मानदंड
1.	आय (इनकम) मानदंड	22,500 रूपये तक प्रति माह - पूर्ण लागत
		22,500 से 30,000 रूपये प्रति माह लागत का 50%
2.	प्री-लिन्गुअल (भाषा-पूर्व) श्रवण हानि वाले - 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे	प्री-लिन्गुअल श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी अधिकतम 7.00 लाख रुपये वहन किए जाएंगे। इसमें इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और 10,000 रुपये तक के **प्री-इम्प्लांट मूल्यांकन** की लागत शामिल होगी।
3.	पोस्ट-लिन्गुअल (भाषा आने के पश्चात) श्रवण हानि वाले बच्चे।	आयु सीमा -18 वर्ष
4.	पोस्ट-लिन्गुअल(भाषा आने के पश्चात)	पोस्ट-लिन्गुअल (भाषा आने के पश्चात) श्रवण हानि वाले बच्चों के मामले में सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी अधिकतम 6.00 लाख रुपये वहन किए जाएंगे। इसमें इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और 10,000 रुपये तक के **प्री-इम्प्लांट मूल्यांकन** की लागत शामिल होगी।
5.	सर्जरी की लागत	पैनलबद्ध अस्पताल में सर्जरी की लागत 75,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमे 25,000 रुपये की मेंटर फीस शामिल है । प्रत्येक लाभार्थी की सर्जरी पूरी होने के बाद अस्पतालों को शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
6.	प्री-लिन्गुअल श्रवण हानि के लिए शल्यक्रिया पश्चात पुनर्वास (पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन) - 1 से 5 वर्ष ।	(क) 3 वर्षों के लिए मैपिंग की राशि 10,000, 5000 एवं 5000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ख) 3 वर्ष के लिए चिकित्सा शुल्क 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा (तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति सप्ताह 3 सत्र (सेशन) / दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 156 सत्र)

7.	पोस्ट-लिन्गुअल श्रवण हानि के लिए शल्यक्रिया पश्चात पुनर्वास (पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन) – 5 से 18 वर्ष ।	(क) 3 वर्षों के लिए मैपिंग की राशि 10,000, 5000 एवं 5000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ख) 2 वर्ष के लिए चिकित्सा शुल्क 32,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रति सप्ताह 2 सत्र / दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 104 सत्र)
8.	यात्रा, आवास, भोजन व्यय – प्री-लिन्गुअल श्रवण हानि 1 से 5 वर्ष तक।	यात्रा, आवास/भोजन व्यय का भुगतान प्रति यात्रा 200 रुपये की दर से सीधे उस परिवार को किया जाएगा। यह भुगतान थेरेपी केंद्र द्वारा निर्धारित संख्या में थेरेपी सत्रों के लिए उपस्थिति प्रमाणित करने के उपरांत त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा । तीन वर्ष की अवधि में 468 थेरेपी सत्रों के लिए प्रति विजिट 200/- रुपये यानि कुल राशि 93,600/- रुपये।
9.	यात्रा, आवास, भोजन व्यय – पोस्ट-लिन्गुअल श्रवण हानि 5 से 18 वर्ष तक।	यात्रा, आवास/भोजन व्यय का भुगतान प्रति यात्रा 200 रुपये की दर से सीधे उस परिवार को किया जाएगा। यह भुगतान थेरेपी केंद्र द्वारा निर्धारित संख्या में थेरेपी सत्रों के लिए उपस्थिति प्रमाणित करने के उपरांत त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा । दो वर्ष की अवधि में 208 थेरेपी सत्रों के लिए प्रति विजिट 200/- रुपये यानि कुल राशि 41,600/- रुपये।
10.	प्रत्यारोपण-पूर्व मूल्यांकन की लागत	सभी लाभार्थियों को सर्जरी-पूर्व मूल्यांकन (सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन) तथा सर्जरी के बाद जांच की लागत के लिए 10,000/- रुपये की एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

* एवीटी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए: पुनर्वास पेशेवर के लिए सक्रिय और वैध सीआरआर नंबर होना अनिवार्य है और माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित, बच्चे की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी, सीआई के लिए नोडल एजेंसी के पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

*****